

प्रारूप

1. परियोजना का आनलाईन प्रस्ताव संख्या:— प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/13205/2015
2. परियोजना का नाम एवं जनपद— मा0 मुख्य मंत्री घोषणा संख्या -233/2012 के अन्तर्गत जनपद— देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण हेतु अपेक्षित 3.01 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
3. परियोजना का क्षेत्रफल (है0 में):— 3.01 है0
4. परियोक्ता एजेन्सी का नाम:— अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश(देहरादून)
5. वन प्रभाग का नाम:— मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित जिला— देहरादून, परगना— परवादून, तहसील— सदर, ग्राम द्वारा के अन्तर्गत खाता खतौनी स0 332 के खसरा स0 2092 क मध्ये रकबा 5.9380 है0 तथा खसरा स0 413 मि0 मध्ये रकबा 0.082 है0 अन्तर्गत श्रेणी 5(3)ख (2)— गांव समाजों में निहित जंगल साल भूमि जिसका कुल रकबा कुल 6.02 है0 है, का पुनः दिनांक 17-01-2018 को श्री के0पी0 वर्मा, उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण दौरान पाया गया कि प्रस्तावित उक्त खसरा नम्बरों की सिविल भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 6.02 है0 है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

हस्ताक्षर



(के0पी0 वर्मा)

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

हस्ताक्षर



(कहकशां नसीम)

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी